मूस्लिम महिलाओं की शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ. अमन झा

सहायक प्राध्यापक

राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

महिलाओं की शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन (रायपुर जिले के विशेष मुस्लिम सन्दर्भ में) इस विषय पर शोध करने पर महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी आंकड़ें और उनकी समस्याएँ सामने आई हैं वे इस प्रकार हैं।

शिक्षा का समयानुसार विकास होता रहा हैं, शिक्षित व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता हैं इसलिए पुरुष और महिला दोनों को शिक्षित होना आवश्यक हैं, किन्तु रुढ़िवादी विचारधारा के कारण महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा हैं बहु विवाह, बुरका प्रथा, परदा प्रथा के कारण अधिकांश मुस्लिम महिलाएँ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं।

2001 में भारत में 13.4% मुस्लिम हैं जिसमे 53.2% जनसँख्या पुरुषों की हैं तथा 50.1% जनसँख्या महिलाओं की हैं।

2001 में कुल साक्षरता 1,11,73,149 (64-66%), जिसमें पुरुषों की साक्षरता 67,11,395 (77-38%), तथा महिला साक्षरता 44-61-754 (51-85)हैं।

2011 में कुल साक्षरता 1,53,79,922 (70.28%), जिसमें पुरुष साक्षरता 88,07,893 (80.27%), महिला साक्षरता 65,72,029 (60.24%) हैं।

मैं हर वर्ग की मुस्लिम महिलाओं से साक्षात्कार लिया, उनके विचार सम्बन्धी आंकड़ें इस प्रकार हैं–

परदा प्रथा के सम्बन्ध में 75% महिलाएँ स्वीकार करती हैं, 25% स्वीकार नहीं करती हैं। शिक्षा को 80% महिलाएँ आवश्यक मानती हैं, 20% आवश्यक नहीं मानती हैं।

नौकरी के सम्बन्ध में 65% महिलाएँ जरुरी मानती हैं, 35% जरुरी नहीं मानती हैं।

जनसँख्या नियंत्रण के सम्बन्ध में 77% नियंत्रण को स्वीकार करती हैं, 14% उदासीन हैं, 9% कुछ कहना नहीं चाहती हैं। राजनीति पर 65% महिलाएँ रूचि रखती हैं, 25% रूचि नहीं रखती हैं, 10% उदासीन हैं।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति से 75% का मानना हैं की अभी ठीक हैं, 25% सुधार चाहती हैं। स्वास्थ्य के प्रति 95% महिलाएँ जागरूक हैं, 5% जागरूक नहीं हैं।

परम्परागत तथा आधुनिकता के सम्बन्ध में 65% आधुनिकता को उचित मानती हैं, 35% परम्परागत को उचित मानती हैं।

पुरुषों में चार विवाह के सम्बन्ध में 88% अनुचित मानती हैं, 12% इस प्रश्न के प्रति उदासीन हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में 65% महिलाएँ भाग लेना चाहती हैं, 25% नहीं लेना द्यचाहती, 10% उदासीन हैं।

स्त्रियों की स्थिति में इस क्रन्तिकारी परिवर्तन के बावजूद अत्याचारी एवं प्रगतिशील विचारों वाला पुरुष – वर्ग, नारी की महत्ता को स्वीकार नहीं करता हैं । रह नारी शिक्षा का विरोध करके अट्टहास करता हैं। भले ही उसकी संतान निरक्षर रह

जाए अपनी रूढ़िवादिता, धार्मिक संकीर्णता एवं नारी जाति पर शासन करने की चिरकाल विरासत में मिलने वाली धरणा का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं, भले ही स्वतन्त्र की मांगों की पूर्ति न हो, और भले ही भारत, स्त्रियों की अशिक्षा के (कारण प्रगति के दौड़ में अन्य देशों से पीछे रह जाए। किन्तु सरकार और प्रगतिशील विचारों वाला पुरुष वर्ग नारी के साथ हैं —

सरकार संविधान के माध्यम से स्त्रियों की समस्त अहर्ताओं का अन्त कर दिया हैं। प्रगतिशील विचारों वाला पुरुष वर्ग, राष्ट्रीय जीवन में स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार करके, उनके तीव्र प्रसार का प्रबल समर्थक हैं। यहीं कारण हैं की स्वतन्त्र भारत में समस्त क्रांति के मध्य शताब्दियों से शोषित नारी ने एक जबर्दस्त अंगड़ाई ली हैं। वह शिक्षा के समान अवसरों का उपयोग करके, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में सक्रीय हैं और पुरुष को चकित कर रही हैं द्य फिर भी वस्तुस्थिति यह शहादत करती हैं की स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा दबे पांव, रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं।

निम्न कारणों से यह शिक्षा सहज और सुलभ नहीं बन पायी हैं ? बहु पत्नि विवाह, पर्दा श्था, तलाक की समस्या, धार्मिक कट्टरता, अधिकारों की अव्यावहारिकता, अशिक्षा, राजनीति में मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता में कमी, सामाजिक तथा पारिवारिक रूढ़िवादिता, कला साहित्य एवं राजनीतिक सहभागिता में कमी, लघु व्यवसाय प्रशिक्षण का आभाव, महिलाओं का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का आभाव, दोहरे दायित्वों की समस्या, परिवार में उचित तालमेल की समस्या, महिलाओं में कुपोषण की समस्या, मिडिया में महिलाओं में भागीदारी में कमी, प्रेस में सहभागिता में कमी, सांप्रदायिक दंगों में शिकार महिलाएँ, विदेशों में कार्यरत पुरुषों द्वारा स्त्रियों को साथ न ले जाना, जनसँख्या वृद्धि के कारण आर्थिक तंगी, नए

पीढ़ी द्वारा फैशन तथा दिखावे में जाना, मजहबी शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं में अवसर की कमी, महिलाओं में इज्तिमा (सत्संग) की कमी, उच्च वर्ग की महिलाओं में परम्पराओं के निर्वाह की समस्या, महिलों में शिक्षा के कारण सुयोग्य वर की कमी, रुढ़िवादीता एवं धर्मान्धता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण प्रशासन, सरकार की उपेक्षा, अध्यापिकाओं का आभाव द्य

वृतनिया शासन काल में दो अधिनियम बनाए गए थे, जिसमे पहला मुस्लिम शरियत अधिनियम, तथा मुस्लिम महिलाओं की परिवारिक स्थिति को सुधरने के लिए न्यायिक विवाह विच्छेद (मुलिम विवाह – विच्छेद अधिनियम, 1939) का प्रावधान हैं। इस अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्ग्रत 9 धाराओं का उल्लेख हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाएं– समेकित बाल विकास परियोजनाएं की सेवाएँ – टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, सन्दर्भ सेवाएँ, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा।

छ.ग. शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाएं –

'साक्षर भारत कार्यक्रम' (इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को साक्षर बनाकर उन्हें समतुल्यता के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में लाना हैं) ।

'सरस्वती साईकिल प्रदान योजना' (शासकीय विद्यालय में अध्ययनतर कक्षा 9वी से 12वी तक की ST, SC,वं BPL परिवार की छात्राएँ)।

'छत्तीसगढ़ सुचना शक्ति योजना' (9वी से 12वी तक की बालिकाओं में कम्प्यूटर साक्षरता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना), 'मध्याह्न भोजन योजना' (शासकीय स्कूलों में प्रवेश, नियमित उपस्थिति एवं कुपोषण में कमी लाना)।

'ई– क्लासरूम' (आधुनिक तकनीकी शिक्षा छात्रों को उपलब्ध कराना तथा शिक्षकों का नई तकनीक प्रौद्योगिकी एवं गन से अवगत कराकर इनकी क्षमता में वृद्धि करना)।

'बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार प्रदान करना' (बेरोजगार इंजीनियर जो सिविल या इलेक्ट्रिकल की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर चूका हो)।

'निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजनाश (1 से 8 तक की छात्राओं को प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण तथा स्कुल जाने के लिए प्रोत्साहित करना)।

'पुस्तकालय योजना' (छात्र–छात्राओं को मनोरंजन व ज्ञानवर्धन पुस्तकें उपलब्ध कर उनका बौद्धिक विकास करना)।

'व्यावसायिक शिक्षा योजना' (कृषि, वाणिज्य, गृह उद्यान, पैरामेडिकल, तकनिकी शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना व विद्यार्थी को स्वरोजगार उपलब्ध कराना)।

'विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना' (प्रारंभिक सुविधाओं से वंचित विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडनें तथा सामान्य बच्चों के साथ पढनें की सुविधा उपलब्ध कराना)।